बातचीत नव भारत के समक्ष प्रबुद्धजनों ने रखे प्रमुख सुझाव

हांफ रही शहर की यातायात व्यवस्था कैसे सुधरे

जबलपुर। शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सड़कों पर रेंगते वाहन, घंटों लगता जाम और दम तोड़ते नियम-कायदे अब शहर की पहचान बन चुके हैं। ट्रैफिक की इस बदहाली को लेकर जब शहर के प्रबुद्ध जनों, आम नागरिकों और युवाओं से बात की गई, तो पुलिस, प्रशासन की लापरवाही सामने आई। लोगों का साफ कहना है कि अलग-अलग विभागों के बीच बंटी जिम्मेदारियों और तालमेल की कमी के कारण पूरा ट्रैफिक सिस्टम वेंटिलेटर पर आ गया है। उन्होंने तीखी प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि शहर में सबसे बड़ा सिरदर्द ई-रिक्शा चालकों की मनमानी बन चुका है। पिछले कुछ समय में इनकी संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। इनका न तो इनका कोई रूट तय किया गया है और न ही इनके लिए कोई स्टैंड निश्चित है जहां मन चाहा, ये ई-रिक्शा बीच सड़क पर ही खड़े हो जाते हैं। वर्तमान में पुलिस के पास इन ई-रिक्शाओं पर नियंत्रण करने या इनकी संख्या को सीमित करने की कोई योजना नहीं है। ऐसे में साफ है कि नागरिकों को इस मनमानी और जाम से जल्द राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ट्रैफिक को पटरी पर लाने के लिए नव भारत के समक्ष प्रबुद्ध जनों, आम नागरिकों और युवाओं ने कुछ प्रमुख सुझाव और मांगें भी उन्होंने रखी हैं। जैसे कि ई-रिक्शा के बेलगाम बढ़ते जा रहे कुनबे पर तुरंत रोक लगाई जाए और इनके रूट तय हों। ई-रिक्शा के लिए लाइसेंस अनिवार्य हो, नाबालिग ड्राइवरों पर सख्त कार्रवाई करना और सड़कों के गड्ढे भरना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। चौराहों और मुख्य मार्गों पर से अवैध कब्जों को सख्ती से हटाया जाए। कई प्रमुख चौराहों पर लेफ्ट टर्न ब्लॉक होने से जाम लगता है, इसके लिए सड़कों का चौड़ीकरण बेहद जरूरी है। व्यस्ततम इलाकों में ट्रैफिक के भारी दबाव को बांटने के लिए नए फ्लाईओवर बनाए जाएं। नागरिकों का मानना है कि यदि पुलिस और नगर निगम, प्रशासन मिलकर इन बुनियादी समस्याओं को हल कर दें, तो ट्रैफिक खुद-ब-खुद संभल जाएगा। कमियों को सुधार लिया जाए, तो शहर का ट्रैफिक अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। अब देखना यह है कि जिम्मेदार जागता है या शहर इसी तरह जाम के झाम में फंसकर कराहता रहेगा।

पांच बिन्दुओं पर एक साथ काम करना होगा

हिमांशु खरे, संयोजक जबलपुर संघर्ष समिति ने कहा कि जबलपुर तेजी से विकसित हो रहा है और शहर में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है ऐसे में केवल सड़क चौड़ीकरण ही यातायात समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पार्किंग व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, अतिक्रमण नियंत्रण और तकनीकी आधारित यातायात प्रबंधन पर एक साथ काम करने की आवश्यकता है।

नहीं है कोई योजना,ई-रिक्शा की संख्या पर सीलिंग हो

डॉ.पी.जी. नाजपांडे, अध्यक्ष, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने कहा कि ई रिक्शा को केंद्र सरकार ने छूट दे रखी है। इनके न तो इनका कोई रूट तय है और न ही रुकने का कोई ठिकाना। जनसंगठनों ने सीधे पुलिस अधिकारियों से चर्चा की थी। जिन्होंने स्वीकार किया कि वर्तमान में पुलिस प्रशासन के पास इन ई-रिक्शाओं को नियंत्रित करने कोई कार्ययोजना मौजूद नहीं है। ई रिक्शा की संख्या दोगुनी हो गई है ई-रिक्शा की संख्या पर भी सीलिंग लगना चाहिए।

फ्लाईओवर, अतिक्रमण हटाने, पुलिस की हो तैनाती

युवा अदनान अंसारी ने कहा कि प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती हो। सिग्नलों की भारी कमी है, और जो कुछ सिग्नल्स लगे भी हैं, वे या तो आए दिन बंद पड़े रहते हैं या फिर उनकी लाइटें इतनी धुंधली हो चुकी हैं कि वाहन चालकों को दिखाई ही नहीं देतीं। चौराहों से अतिक्रमणकारियों को तुरंत खदेड़ा जाए। जिन चौराहों पर लेफ्ट टर्न बंद हैं, वहां सडक़ों का चौड़ीकरण कर उन्हें तुरंत खोला जाए। शहर में सबसे बड़ी समस्या रोड चौड़ीकरण की है कई चौराहों पर लेफ्ट टर्न नहीं है। रद्दी चौकी से हाई कोर्ट तक फ्लाईओव्हर की बहुत जरूरत है।

हेलमेट के चालान तो काट रहे, गड्ढे कब भरेंगे?

युवा नितिन पासी ने कहा कि शहर का ट्रैफिक व्यवस्थित होना चाहिए। दुर्घटनाएं हेलमेट न लगाने से ज्यादा सड़कों के जानलेवा गड्ढों के कारण हो रही हैं। हेलमेट पहन लेने भर से दुर्घटनाएं नहीं टलतीं। चालानी कार्रवाई करने से पहले प्रशासन को सडक़ें दुरुस्त करनी होंगी। सड़कें हेलमेट लाइक यानी चलने योग्य तो हों! शहर में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं अनियंत्रित ई-रिक्शाओं और सड़कों के गड्ढों के कारण हो रही हैं, जिन पर कोई लगाम नहीं है। बीच-बीच में डिवाइडर अवैध रूप से कटे हुए हैं। इन्हें तुरंत बंद करने की जरूरत है। अगर इन बातों पर सुधार हो जाए तो ट्रैफिक अपने आप कंट्रोल हो जाएगा।

संविदा महिला कर्मचारियों को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव

हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश की अवहेलना पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद संविदा महिला कर्मचारी को बाल देखभाल छुट्टी, चाइल्ड केयर लीव, सीसीएल से वंचित करना राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह को महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट ने छुट्टी का आवेदन खारिज करने वाला विभागीय आदेश निरस्त करते हुए संचालक पर 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है।

जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता आयशा शेख की ओर से अधिवक्ता निखिल तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने अवगत कराया कि याचिकाकर्ता नौवीं बार कोर्ट की शरण में है। इसी से प्रशासकीय मनमानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। राज्य शिक्षा केंद्र ने 16 जुलाई को आवेदन खारिज करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के 22 जुलाई 2023 के परिपत्र का हवाला दिया था। विभाग का तर्क था कि बुरहानपुर निवासी संविदा कर्मचारी बाल देखभाल छुट्टी की पात्र नहीं हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियमए 1977 के नियम 38-सी में महिला सरकारी सेवक को 730 दिन तक बाल देखभाल छुट्टी का प्रावधान है। संविदा महिला कर्मचारी भी दो बच्चों की देखभाल के लिए 240 दिन की छुट्टी की हकदार है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि न्यायालय कानून का व्याख्याकार है और उसकी व्याख्या अंतिम होती है। विभागीय परिपत्र न्यायिक आदेशों से ऊपर नहीं हो सकता। कोर्ट ने तत्काल छुट्टी देने और संचालक को 30 दिन में 50 हजार रुपये जमा करने के निर्देश दिये है।

फतवे के आधार पर तलाक नहीं, कानूनी प्रक्रिया जरूरी

मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने मुस्लिम विवाह-विच्छेद से जुड़े अहम मामले में स्पष्ट किया है कि केवल फतवे के आधार पर निकाह खत्म नहीं माना जा सकता। धार्मिक संस्था या मसाजिद कमेटी धार्मिक राय दे सकती है, लेकिन कानूनी रूप से विवाह समाप्त करने का अधिकार सक्षम अदालत के पास है।दरअसल, यह मामला भोपाल की दारुल-दफा मसाजिद कमेटी के फतवे से जुड़ा था। पति चाहता था कि फतवे के आधार पर उसका निकाह खत्म मान लिया जाये, जबकि पत्नी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि फतवा कानूनी तलाक नहीं है, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने फतवे का अध्ययन किया। कोर्ट ने पाया कि उसमें निकाह खत्म करने की घोषणा नहीं, बल्कि इस्लामी ग्रंथों के आधार पर पत्नी की कथित क्रूरता जैसी परिस्थितियों पर धार्मिक मार्गदर्शन दिया गया था। इसलिए इसे कानूनी तलाक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई मदरसा, धार्मिक शिक्षण संस्था या मस्जिद कमेटी मुस्लिम पुरुष को कानूनी तलाक नहीं दे सकती। पति चाहे तो पारिवारिक न्यायालय में तलाक की याचिका दाखिल कर सकता है। मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम 1939 भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकता। हाईकोर्ट ने दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश सात नियम 11 के तहत मौजूदा वाद खारिज करते हुए नई तलाक याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता दी है।

पहले चरण की मतगणना पूरी, राकेश भदौरिया ने बनाई बढ़त

जबलपुर। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद निर्वाचन-2026 की प्रथम चरण की मतगणना पूरी हो गई है। निर्वाचन नियमों के अनुसार कुल वैध मतों के आधार पर 2,48,392 मत-मूल्य का कोटा निर्धारित किया गया था, जिसे केवल प्रत्याशी राकेश सिंह भदौरिया ने पार किया। उन्हें कुल 3,31,400 मत-मूल्य प्राप्त हुए, जिसके चलते उन्हें निर्वाचन में अनौपचारिक रूप से निर्वाचित घोषित किया गया। इसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया के तहत उनके कोटा से अधिक प्राप्त मतों की सरप्लस वैल्यू का हस्तांतरण किया गया। निर्वाचन नियमों के अनुसार राकेश सिंह भदौरिया के प्रथम वरीयता के 80 मतपत्रों के आधार पर सरप्लस वैल्यू 25 निर्धारित की गई। इन मतपत्रों पर अंकित द्वितीय वरीयता के प्रत्याशियों को नियमानुसार सरप्लस मत-मूल्य हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इसके उपरांत मतगणना का अगला चरण यानी एलिमिनेशन राउंड शुरू हुआ, जिसमें प्रत्याशी क्रमांक 95 रेखा बोरीवाल (इंदौर) और प्रत्याशी क्रमांक 17 अरुण सिंह (रीवा) एलिमिनेट हो गए तथा उनके मत द्वितीय वरीयता के प्रत्याशियों को स्थानांतरित किए गए।

मतगणना पूरी होने पर स्पष्ट होगी स्थिति

सरप्लस वैल्यू के हस्तांतरण और दो प्रत्याशियों के एलिमिनेशन के बाद मतगणना में पुरुष वर्ग में राकेश सिंह भदौरिया, विवेक सिंह, आर.के. सिंह सैनी, नरेन्द्र कुमार जैन और जय हर्दिया बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं महिला वर्ग में प्रवीण तिवारी, अन्नू पटेल, प्रतीका पाठक, रश्मि ऋतु जैन और प्रतिभा वालिया शीर्ष दावेदारों में शामिल हैं। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार शेष चरणों की मतगणना पूरी होने के बाद अन्य प्रत्याशियों की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी।

शक्तिनगर में रुद्राक्ष महोत्सव आज

नवभारत, जबलपुर। गुप्तेश्वर भगवान की पावन छत्रछाया में शक्तिनगर के सुविधा मार्केट मैदान में श्री रुद्राक्ष महोत्सव, पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्राभिषेक एवं ज्योतिर्लिंग दर्शन का दिव्य अनुष्ठान आज 6 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। कार्यक्रम के संयोजक आचार्य योगेंद्र महाराज ने बताया कि धार्मिक अनुष्ठान के दौरान प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक प्रदोष काल की बेला में शिवजी का महारुद्राभिषेक पूजन संपन्न होगा। इसके पश्चात प्रतिदिन शाम 6 बजे बाबा केदारनाथ की तर्ज पर भव्य महाआरती आयोजित की जाएगी और श्रद्धालुओं को विशेष ज्योतिर्लिंग दर्शन प्राप्त होंगे।

ऑपरेशन अमानत और यात्री सुरक्षा के तहत आरपीएफ की कार्रवाई

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर मंडल में रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) यात्रियों की सुरक्षा, सहायता और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार विशेष अभियान चला रहा है। जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में ऑपरेशन अमानत ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत आरपीएफ ने कई उल्लेखनीय कार्रवाइयां करते हुए यात्रियों की खोई हुई संपत्ति सुरक्षित बरामद कर उन्हें लौटाई, जरूरतमंद बच्चों को संरक्षण प्रदान किया तथा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। सतना स्टेशन पर महाकौशल एक्सप्रेस में छूटा करीब 12 हजार रुपये मूल्य का ट्रॉली बैग, जबलपुर स्टेशन पर लगभग 65 हजार रुपये मूल्य का लैपटॉप बैग तथा कटनी स्टेशन पर गोंडवाना एक्सप्रेस में छूटा लगभग 30 हजार रुपये कीमत का वनप्लस मोबाइल बरामद कर सत्यापन के बाद उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया। इसके अलावा गाड़ी संख्या 22191 में मिली चांदी की पायल भी उसके अधिकृत परिजन को सुपुर्द की गई।

भेजा गया सेंटर

आरपीएफ ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत कटनी में अकेले यात्रा कर रही 15 वर्षीय बालिका को सुरक्षित अभिरक्षा में लेकर वन स्टॉप सेंटर भेजा।

वहीं दमोह स्टेशन पर ट्रेन में मिले एक लावारिस बालक का सुरक्षित रेस्क्यू कर आवश्यक औपचारिकताओं के बाद उसे उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। जबलपुर स्टेशन पर सोशल मीडिया के माध्यम से मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भीख मांगते मिले दो बच्चों को संरक्षण देकर बाल कल्याण से संबंधित संस्थाओं को सौंपा गया, जिससे आरपीएफ की संवेदनशील कार्यशैली सामने आई।

मोबाइल किए बरामद

इसी दौरान ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत 29 जुलाई को जबलपुर स्टेशन पर मोबाइल चोरी का प्रयास कर रहे एक शातिर आरोपी को आरपीएफ ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मोबाइल बरामद किया और आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी के हवाले कर दिया। पश्चिम मध्य रेल के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा, उनकी संपत्ति की रक्षा तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए ऐसे विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे, ताकि रेल यात्रा को और अधिक सुरक्षित, भरोसेमंद एवं सुविधाजनक बनाया जा सके।

एक नजर में

23 लाख के गुमे 134 मोबाइल पाकर खिले धारकों के चेहरे

जबलपुर। पुलिस ने गुमे 134 मोबाइल ढूंढ निकाले। जब धारकों को उनके गुमे वापिस किए गए तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। दरअसल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) जितेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन एवं उप पुलिस अधीक्षक सायबर सेल अंजुल अयंक मिश्रा के निर्देशन में पुलिस द्वारा गुम हुए 134 मोबाईल फोन अनुमानित कीमत लगभग 23 लाख रुपये के सफलतापूर्वक ट्रेस कर संबंधित धारकों को सुपुर्द किए गए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने नागरिकों से अपील की है कि यदि आपका मोबाइल फोन गुम हो गया है, तो उसकी शिकायत संबंधित थाने में करें।

दाल मिल स्थापना के लिए 30 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

नवभारत,जबलपुर। किसानों की आय बढ़ाने और दलहन फसलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने जिले में दाल मिल स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के तहत प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट ,दाल मिल, स्थापित करने पर पात्र हितग्राहियों को परियोजना लागत का अधिकतम 33 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास उमेश कुमार कटहरे ने बताया कि जिले में वर्ष 2026-27 के लिए दो दाल मिल इकाईयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ किसान उत्पादक संगठन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, प्राथमिक कृषि साख समिति तथा इनके अंतर्गत पंजीकृत अन्य पात्र उद्यमी और व्यक्तिगत कृषक उठा सकेंगे। संस्थागत आवेदकों को व्यक्तिगत आवेदकों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास के अनुसार इच्छुक आवेदक 30 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कृषि अभियांत्रिकी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं।

3 शातिर चोर पकड़ाए, 31.65 लाख के आभूषण, कारें, नगदी जब्त

नवभारत, जबलपुर। खितौला थाना अंतर्गत पालीवाल कॉलोनी में चोरी करने वाले तीन शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिनके कब्जे से चुराये हुये सोने के आभूषण वजनी 212.3 ग्राम व चांदी के आभूषण वजनी 808.8 ग्राम कुल कीमती 31 लाख 65 हजार 200 रूपये समेत चुराये हुये आठ लाख रूपयों से खरीदी हुई दो कार एवं नगद 54 हजार रूपये जप्त किए गए। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है जिसमें नए खुलासे होने की उम्मीद हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनु वेनिवाल ने गुरूवार को कंट्रोल रूम में खुलासा करते हुए बताया कि 12 जून को कमल नारायण सोनी 41 वर्ष निवासी पालीवाल कालोनीके घर से 11 जून को रात अज्ञात चोर जेवर सोने-चांदी के जेवर एवं नगद 8 लाख चुराकर ले थे। इस दौरान क्राईम ब्रांच को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, पनागर स्थित ग्राम भरदा पडरिया निवासी अंकित पटेल, आकाश पटेल, शनि पटेल के पास अचानक से काफी पैसा आया है उनके द्वारा कार बाजार जबलपुर से 2 गाडियाँ खरीदी गई है, साथ ही सुनारों के पास स्वर्ण आभूषण गिरवी, विक्रय करने के लिये प्रयासरत् हैं। सूचना पर थाना प्रभारी खितौला चंद्रकांत झा के नेतृत्व में क्राईम ब्रांच एवं थाना खितौला की संयुक्त टीम द्वारा तीनों को अभिरक्षा में लेते हुये थाना लाकर सघन पूछताछ करने पर तीनों ने मिलकर खितौला अंतर्गत पालीवाल कालोनी स्थित सूने मकान मे चोरी करना स्वीकार किये।

10 तक मिली रिमांड, पूछताछ में नए खुलासे की उम्मीद

पकड़े गए आरोपियों ने चुराये सोने चांदी के आभूषण अपने निवास स्थान में रखना बताये तीनों आरोपियों की निशादेही पर से चुराये हुये सोने चांदी के आभूषण, चुराये हुये पैसों से खरीदी हुयी अमेज एवं अल्टो कार व अन्य जगह से चुराये हुये सोने चांदी के आभूषण जप्त किये गये तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करते हुये दस जुलाई तक पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है जिसमें नए खुलासे होने की उम्मीद है।

बीएसी एवं जनशिक्षकों की काउंसलिंग आयोजित

66 रिक्त पदों के लिए प्राप्त हुए 65 आवेदन

नवभारत,जबलपुर। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर जिले में रिक्त बीएसी एवं जनशिक्षकों के पदों के लिए गुरूवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में काउंसलिंग आयोजित की गई। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र योगेश शर्मा ने बताया कि जिले में बीएसी एवं जनशिक्षकों के कुल 66 रिक्त पदों के लिए 65 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें बीएसी के 26 रिक्त पदों के विरुद्ध काउंसलिंग के माध्यम से 15 पात्र शिक्षकों ने रिक्त पदों का चयन किया। इसी प्रकार जनशिक्षकों के 40 रिक्त पदों के लिए काउंसलिंग के माध्यम से 17 पात्र शिक्षकों ने रिक्त स्थानों का चयन किया। साथ ही कुल 66 रिक्त पदों में से 32 पात्र शिक्षकों ने बीएसी एवं जनशिक्षकों के रिक्त पदों का चयन किया। जिला परियोजना समन्वयक ने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार प्रत्येक विकासखंड में विषयवार 5 बीएसी तथा प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र में 2 जनशिक्षकों के पद निर्धारित हैं। इन पदों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक होनाए आयु 52 वर्ष से अधिक न होना तथा संबंधित शिक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण अथवा लंबे समय तक अनुपस्थित रहने की शिकायत नहीं होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि शेष रिक्त पदों के लिए पात्र शिक्षकों की पुन: काउंसलिंग कराई जाएगी जिसकी सूचना पृथक से दी जाएगी।

मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम ने पकड़ा है

नवभारत, जबलपुर। ग्वारीघाट निवासी एक महिला सरकारी कर्मचारी को इंडियन मैट्रिमोनी साइट के जरिए साइबर ठग ने जाल में फंसाकर डराया कि उसे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ लिया है और 80 हजार रुपये की चपत लगा दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ग्वारीघाट निवासी सरकारी कर्मचारी रेजिना मैथ्यु ने पुलिस को बताया कि 16 जुलाई 2026 को उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया। मैसेज करने वाले ने अपना परिचय इंग्लैंड के निवासी के रूप में दिया। जिसने कहा, मैंने इंडियन मैट्रिमोनी पर आपकी प्रोफाइल देखी है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। महिला उसकी बातों में आ गई और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद कथित तौर पर इंग्लैंड के रहने वाले इस व्यक्ति ने रेजिना को बताया कि वह उनसे मिलने जबलपुर आ रहा है। इसके बाद पीड़ित महिला के पास फोन आया कि वह भारत पहुंच चुका है, लेकिन उसे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ लिया है। ठग ने कहा कि उसके पास मौजूद विदेशी करेंसी भारत में नहीं चलेगी, इसलिए उसे तुरंत भारतीय रुपयों की जरूरत है। झांसे में आकर महिला ने फोन पर ही अपने बैंक खाते की पूरी जानकारी उसे दे दी। झांसे में आकर रेजिना ने खाते में दो बार में 40-40 हजार रुपये करके कुल 80 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर होने के बाद भी ठग की मांगें बंद नहीं हुईं।

गोलीकांड : डीआईजी ने घोषित किया ईनाम

जबलपुर। बरेला थाना अंतर्गत बारहा नहर किनारे गोली मारकर की गई हत्या के प्रकरण में आरोपित की गिरफ्तारी पर पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज जबलपुर ने ईनाम घोषित कर दिया है। जानकारी के अनुसार पिछले साल बारहा नहर किनारे पुलिस के पास अज्ञात पुरूष उम्र 40-45 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रकरण में फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर एसपी ने दस हजार रूपए का ईनाम घोषित किया था लेकिन आरोपी का सुराग नहीं लगा। अब पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज जबलपुर अतुल सिंह द्वारा पंद्रह हजार रूपय) नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत करने की उद्घोषणा की गयी है। इसके अलावा एक अन्य मामले में फरार कपिल साहू पिता श्रीचंद साहू 24 वर्ष निवासी उदयपुर थाना बीजाडाण्डी मण्डला एवं संदीप बरमईया उर्फसैडी पिता चेतराम बरमईया 33 वर्ष निवासी ठरका बम्हनी बंजर जिला मण्डला तथा राहुल पटेल पिता राजेश पटेल उम्र 27 वर्ष निवासी शास्त्री कालोनी थाना कोतवाली जिला कटनी दस-दस हजार रूपए का ईनाम घोषित किया गया है।

परेशानी वाहन चालकों के साथ वाहनों को भी पहुंच रहे नुकसान

टूटे रबर स्पीड ब्रेकर बन रहे हादसों की वजह

जबलपुर। शहर के पॉश इलाके नेपियर टाउन, राइट टाउन और सिविल लाइंस क्षेत्र की सड़कों पर लगाए गए रबर स्पीड ब्रेकर अब सुरक्षा का साधन बनने के बजाय परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। कई स्थानों पर इन स्पीड ब्रेकरों के रबर पैड उखड़ चुके हैं, जबकि लोहे की प्लेटें और बोल्ट सड़क पर बाहर निकल आए हैं। इससे दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को अचानक झटका लगने के साथ-साथ वाहनों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क से उखड़े इन स्पीड ब्रेकरों की समय पर मरम्मत नहीं होने से आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वाहन चालकों का आरोप है कि टूटे हुए रबर स्पीड ब्रेकरों के बाहर निकले धातु के हिस्से कई वाहनों के टायर तक पंचर कर रहे हैं। खासकर दोपहिया वाहन चालक और रात के समय गुजरने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कई बार वाहन चालक इन टूटे हुए हिस्सों से बचने के प्रयास में संतुलन खो बैठते हैं, जिससे हादसे की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। शहर के सबसे व्यस्त और संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्रों में इस तरह की लापरवाही लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है।

वाहन चालकों को मिले राहत

स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम एवं संबंधित विभाग से मांग की है कि क्षतिग्रस्त रबर स्पीड ब्रेकरों को तत्काल हटाकर नए और मानक अनुरूप गति अवरोधक लगाए जाएं। साथ ही सड़क पर बाहर निकले लोहे के बोल्ट और प्लेटों को तुरंत हटाया जाए, ताकि वाहन चालकों को राहत मिल सके और किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका को टाला जा सके। नागरिकों का कहना है कि शहर की प्रमुख सड़कों की नियमित निगरानी और समय-समय पर मरम्मत कराना भी आवश्यक है, जिससे सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

स्वर्ण जयंती भवन के प्रवेश द्वार पर जलभराव

अधिवक्ताओं व पक्षकारों को हो रही परेशानी

जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के स्वर्ण जयंती भवन के द्वितीय प्रवेश द्वार पर लगे वाटर फिल्टर से लगातार पानी टपकने के कारण प्रवेश क्षेत्र में जलभराव और गंदगी की स्थिति बन गई है। इससे अधिवक्ताओं, पक्षकारों एवं न्यायालय आने वाले आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

साथ ही फिसलन के कारण दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है न्यायालय परिसर की गरिमा के अनुरूप इस समस्या के शीघ्र निराकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अधिवक्ताओं ने संबंधित अधिकारियों से वाटर फिल्टर की मरम्मत कराते हुए उचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि परिसर की स्वच्छता, सुरक्षा एवं गरिमा बनी रहे।